फर्द अहकाम

गोपाल वगै० बनाम भगवान सहाय वगै०

544/167/09 वाद

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/11/24	प०वादी अंतिम बहस हेतु न्यायहित के प्रार्थना दावसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर बहस नहीं करने की स्थिति पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 21/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/11/24	प०वादी अंतिम बहस हेतु न्यायहित के पुनः अंतिम दावसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर बहस नहीं करने की स्थिति में पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 25/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की वादपत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/11/24	प० वादी अंतिम वादी ... निर्णय पृथक से पारित किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:31:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

गोपाल आदि बनाम भगवान सहाय

नाम न्यायालय

केस संख्या 167/2009 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया डिक्री पर्चा बनी। पत्रावली फैसल शुमार होकर उपर्युक्त नम्बर से कम हो तथा अभिलेख दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा...

पीठासीन अधिकारी :—कन...

उनवान...

मुकदमा नं0:—167 / 2009

1. गोपाल पुत्र बाल...
2. बाबूलाल पुत्र...
3. राधेश्याम...
4. सीता...
5. ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–167/2009

उनवान

1. गोपाल पुत्र बालू
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामू
3. राधेश्याम पुत्र स्व0 रामू
4. सीताराम पुत्र स्व0 रामू
5. मोहरी देवी पत्नी स्व0 रामू

समस्त जाति अहीर, निवासी अहीरों की ढ़ाणी, वार्ड नं0 3, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र भूरा, जाति पुरोहित, निवासी पुरोहितों की ढ़ाणी, खादी बाग, वार्ड नं0 3, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. छीतर पुत्र मुरलीधर, जाति अहीर, निवासी अहीरों की ढ़ाणी, खादी बाग, वार्ड नं0 3, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–27.11.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण ढ़ाणी अहीरों की वार्ड नं0 3, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रहने वाले हैं व काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते चले आ रहे हैं। वाके ग्राम कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नं0 586 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं0 584 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, [illegible] बीघा 5 बिस्वा है, जिसके हाल खसरा नं0 4557 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 [illegible]58 [illegible] 0.10 है0, खसरा नं0 4559 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 4560 रकबा 0.18 है0, [illegible] कित्ता 4 का कुल रकबा 0.57

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर भूमि है, जोकि वादपत्र में भूमि विवादग्रस्त है। भूमि विवादग्रस्त के पूर्व खातेदार हनुमान वल्द बीजैलाल कौम पुरोहित निवासी चौमूं था। जिस खातेदार हनुमान ने वादीगण सं0 1 व वादीगण सं0 2 ता 5 के पिता स्व0 रामू के हक में आराजी खसरा नं0 587, 586, 584, 583 मिन कुल किता 4 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12.08.1974 के बिचौती प्रतिफल की राशि मुबलिग 8,000/– रुपये प्राप्त कर वादी सं0 1 व मृतक रामू पुत्र सेडू के हक में बेचान कर सम्भला दिया था। लेकिन उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त वादीगण के पूर्वजों बल्लू, सेडू पुत्रान पूरा का शुरु से ही चला आ रहा था। वादीगण के पूर्वजों के स्वर्गवास के बाद वादीगण का बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है व उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं व लगान सरकार को अदा करते आ रहे हैं। भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जाकाश्त बन्दोबस्त सम्वत् 2010 के पूर्व से चला आ रहा है, लेकिन वादीगण के पूर्वजों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी, लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में मात्र 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के पूर्वजों बल्लू व सेडू के नाम से दर्ज की गई तथा शेष 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के पिता भूरा पुत्र आनन्दीलाल के नाम कर दी व 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं0 2 के पिता मुरली वल्द खांगा के नाम कर दी गई जबकि उक्त 1/2 हिस्सा की भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पूर्वज कभी भी कब्जाकश्त नहीं रहे, ना ही प्रतिवादी सं0 1 व 2 का कहीं कोई कब्जाकाश्त ही रहा, ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है। भूमि विवादग्रस्त के बाबत पूर्व में कभी कोई विवाद नहीं था तथा ना ही प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पूर्वजों द्वारा वादीगण व उनके पूर्वजों के कभी भी कब्जेकाश्त में दखल नहीं की लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादीगण को उनके कब्जेकाश्त में दखल करने व भूमि को बाहरी अजनबी व्यक्तियों द्वारा बेचान की धमकी दिनांक 13.10.2009 को एलानियां दी व कहा कि उक्त भूमि को शीघ्र ही बेचान करेंगे एवं जबरन वादीगण को कब्जे से बेदखल करके रहेंगे। तब वादीगण द्वार राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की गई तथा पटवारी हल्का की नकल प्राप्त की तब उक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होने से व प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा बिना कब्जा व बिना अधिकार के बेचान करने की लगातार धमकी दी जाने से वादीगण को वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादीगण द्वारा वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादग्रस्त के बाबत वादीगण का सम्पूर्ण भूमि पर पुश्तैनी कब्जाकाश्त होने व विक्रय–पत्र दिनांक 12.08.1974 का वादीगण के हक में होने से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ फरमाया जावे व वादीगण के नाम से इन्द्राज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 भूमि विवादग्रस्त का अपने नाम दर्ज गलत खातेदारी के आधार पर किसी भी [illegible] बेचान हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही रहन रखें, ना [illegible] ही कब्जेकाश्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग–उपभोग करने में रुकावट करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें, ना ही अन्य एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य राजीनामा दिनांक 23.12.2014 को इस प्रकार पेश किया गया कि वाके करबा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित पुराना खसरा नं0 586, 584 कुल किता 2 का कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 4557, 4558, 4559, 4560 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर है। उक्त भूमि शुरु से वादीगण के पूर्वजों के समय से ही उनके कब्जे अधिकार में चली आ रही है, जिसमें दौराने सेटलमेन्ट में 1/4 हिस्सा की खातेदारी में मुझ भगवानसहाय पुत्र भूरा के एवं 1/4 हिस्सा छीतर पुत्र मुरलीधर अहीर के नाम से दर्ज हो गई, जबकि मुझ भगवानसहाय पुत्र भूरा पुरोहित का ना तो कब्जा रहा, ना ही हक व अधिकार रहा है। उक्त भूमि में मुझ प्रतिवादी भगवानसहाय का नाम हटा दिया जावे व खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज फरमा दी जावे तो मुझ प्रतिवादी सं0 1 भगवानसहाय को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं0 2 व 3 के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा वादीगण के हक में दिनांक 23.12.2014 को राजीनामा एवं दिनांक 12.03.2022 को हिस्सा 1/4 का जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामा किया जा चुका है एवं वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के पक्ष में साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया व दस्तावेज के रुप में प्रदर्श 1– नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060, प्रदर्श 2– प्रमाणित प्रति जमाबन्दी गत सम्वत् 2027 से 2030, प्रदर्श 3– नकल जमाबन्दी, प्रदर्श 4– नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 5– नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023, प्रदर्श 6– नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023, प्रदर्श 7– नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023, प्रदर्श 8– असल विक्रय–पत्र दिनांक 12.08.1974, प्रदर्श 9– असल इकरारनामा दिनांक 10.08.1974, प्रदर्श 10से 12– असल विद्युत बिल नग 3 वाद पत्र के समर्थन में पेश किये गये। तहसीलदार, तहसील चौमूं द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार पेश की गई है कि भूमि विवादग्रस्त का खातेदार हनुमानसहाय पुत्र विजयलाल, जाति पुरोहित, निवासी चौमूं द्वारा वादी सं0 1 गोपाल पुत्र बालू व वादीगण सं0 2 ता 5 के पिता स्व0 रामू के हक में साबिक खसरा नं0 587, 586, 584, 583 मि0 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को दिनांक 12.08.1974 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र बेचान किया था। उक्त क्रय की गई भूमि पर वादी सं0 1 व वादीगण सं0 2 ता 5 वर्तमान में काबिज काश्त हैं। भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन तत् समय राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0 1 व वादीगण सं0 2 ता 5 के पिता स्व0 रामू द्वारा उक्त विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि क्रय करने के उपरान्त भी रिकॉर्ड में मय 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के पिता भूरा पुत्र आनन्दीलाल पुरोहित व 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 2 के पिता मुरली वल्द खांगा के नाम दर्ज होना बताया है। इस संबंध में वादीगण से दस्तावेज तलब किये तो केवल वादीगण में विक्रय पत्र की प्रति उपलब्ध करवाई। अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया। दावे की कार्यवाही के दौरान ही प्रतिवादी सं0 1 ने वादी सं0 1 व वादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में बक्शीश नामा पंजीबद्ध करवाया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है। इस प्रकार वर्तमान में रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान में छीतर पुत्र मुरली की खातेदारी में दर्ज हिस्सा 1/4 ही विवादग्रस्त रहा है। वर्तमान में विवादग्रस्त खसरा नं0 4557, 4558, 4559, 4560 किता 4 रकबा 0.57 हैक्टेयर की खातेदारी छीतर पुत्र मुरली हिस्सा 1/4 गोपाल लाल पुत्र बल्लूराम हिस्सा 3/8 राधेश्याम पुत्र रामलाल हिस्सा 43/216 मोहरी पत्नी रामू हिस्सा 1/36 बाबूलाल, सीताराम पुत्र रामू हिस्सा 4/27 जाति अहीर सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। छीतर पुत्र मुरली का हिस्सा 1/4 एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड शाखा चौमूं के रहन दर्ज है। भूमि विवादग्रस्त में वादीगण की खातेदारी में 1/2 हिस्से के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे हैं तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित भूमि विक्रय पत्र से दिनांक 12.08.1974 के द्वारा वादीगण के हक में पंजीबद्ध होने से एवं प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा वादीगण के हक में दिनांक 23.12.2014 को राजीनामा एवं दिनांक 12.03.2022 को हिस्सा 1/4 का जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामा किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि वादीगण की सम्पूर्ण पुश्तैनी कब्जेकाश्त की भूमि है। ऐसे में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि वाके ग्राम कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नं0 586 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं0 584 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 2 का रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा है, जिसके हाल खसरा नं0 4557 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 4558 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 4559 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 4560 रकबा 0.18 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा पूर्व में किये गये बक्शीशनामे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा शेष हिस्सा 1/4 जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज है, का नाम हजफ किया जाकर हिस्सा 1/4 की खातेदारी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मु0)चौमूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0नं0–167 / 2009
उनवान–गोपाल वगै0 बनाम भगवानसहाय वगै0
निर्णय दिनांक–27.11.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0)चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन (R.A.S.)

उनवान

1. गोपाल पुत्र बालू
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामू
3. राधेश्याम पुत्र स्व0 रामू
4. सीताराम पुत्र स्व0 रामू
5. मोहरी देवी पत्नी स्व0 रामू

समस्त जाति अहीर, निवासी अहीरों की ढाणी, वार्ड नं0 3, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र भूरा, जाति पुरोहित, निवासी पुरोहितों की ढ़ाणी, खादी बाग, वार्ड नं0 3, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. छीतर पुत्र मुरलीधर, जाति अहीर, निवासी अहीरों की ढ़ाणी, खादी बाग, वार्ड नं0 3, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88, 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नं0:–167 / 2009

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नं0 586 रकबा 1 बीघा 4 बिस[illegible] नं0 584 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 2 का रकबा 2 बीघा 5 [illegible] है [illegible]सके हाल खसरा नं0 4557 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 [illegible] 4559 रकबा 0.09 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:31:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं0 4560 रकबा 0.18 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा पूर्व में किये गये बक्शीशनामे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा शेष हिस्सा 1/4 जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज है, का नाम हजफ किया जाकर हिस्सा 1/4 की खातेदारी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। अंतिम डिक्री जारी हो।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.11.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)
ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner